

एमसीडी को टप करने की तैयारी में भाजपा, पार्षदों को ज्यादा बजट देने से इन्कार : अंकुश नारंग

नववर्ष पर आयोजित लंच के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पार्षदों को 25 लाख से अधिक बजट देने से साफ मना कर दिया

- सीएम रेखा गुप्ता की सलाह, पार्षद अपने विधायकों से मिलकर रहें और उनके माध्यम से देखें कि काम हो रहा या नहीं
- क्षेत्र की जनता सबसे ज्यादा पार्षदों के पास काम लेकर आती है, अगर भाजपा सरकार बजट नहीं देगी तो वे काम कैसे करेंगे?



उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता ने पार्षदों को सलाह दी है कि पार्षद अपने विधायकों से मिलकर रहें और उनके माध्यम से देखें कि क्षेत्र में काम हो रहा या नहीं। आप भाजपा की नीति का विरोध करती है और पार्षदों को उनका हक दिलाने से के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने प्रेसवार्ता कर कहा कि रविवार को सीएम रेखा गुप्ता द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने घर पर भाजपा के पार्षदों का लंच था। उस लंच के दौरान सीएम रेखा गुप्ता खुलेआम कहा गया कि पार्षदों को 25 लाख रुपए से अधिक

ज्यादा अपने पार्षद के पास आती है और पार्षद से ही सबसे ज्यादा उम्मीद करती है कि पार्षद उनका काम कर के देंगे। अब जब भाजपा सरकार पार्षद को बजट ही नहीं देगी तो पार्षद काम कैसे करेगा? अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा शुरू से कहती थी कि एमसीडी के साथ दिल्ली में भी उसकी सरकार होगी तो बेहतर काम होगा। इसलिए दिल्ली की जनता ने भाजपा की चार इंजन को सरकार बनवा दी। लेकिन अब जब भाजपा सरकार पार्षदों को बजट ही नहीं देगी तो फिर वो काम कैसे करेगी। इससे तो कहीं अच्छी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप सरकार में पार्षदों के माध्यम से काफ़ी काम होते थे। सदन में स्टैंडिंग बैटक में भाजपा पार्षदों का आक्रोश साफ साफ देखने को मिल रहा है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। उनको बजट नहीं मिल रहा है। अंकुश नारंग ने कहा कि आम मुखमंत्रियों का साफ तौर से यह कह देना कि पार्षदों को और बजट नहीं मिलेगा। यह भाजपा का एक प्रयास है कि एमसीडी सही तरीके से चल न पाए और टप हो

ज्यादा अपने पार्षद के पास आती है और पार्षद से ही सबसे ज्यादा उम्मीद करती है कि पार्षद उनका काम कर के देंगे। अब जब भाजपा सरकार पार्षद को बजट ही नहीं देगी तो फिर वो काम कैसे करेगी। इससे तो कहीं अच्छी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप सरकार में पार्षदों के माध्यम से काफ़ी काम होते थे। सदन में स्टैंडिंग बैटक में भाजपा पार्षदों का आक्रोश साफ साफ देखने को मिल रहा है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। उनको बजट नहीं मिल रहा है। अंकुश नारंग ने कहा कि आम मुखमंत्रियों का साफ तौर से यह कह देना कि पार्षदों को और बजट नहीं मिलेगा। यह भाजपा का एक प्रयास है कि एमसीडी सही तरीके से चल न पाए और टप हो

ज्यादा अपने पार्षद के पास आती है और पार्षद से ही सबसे ज्यादा उम्मीद करती है कि पार्षद उनका काम कर के देंगे। अब जब भाजपा सरकार पार्षदों को बजट ही नहीं देगी तो फिर वो काम कैसे करेगी। इससे तो कहीं अच्छी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप सरकार में पार्षदों के माध्यम से काफ़ी काम होते थे। सदन में स्टैंडिंग बैटक में भाजपा पार्षदों का आक्रोश साफ साफ देखने को मिल रहा है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। उनको बजट नहीं मिल रहा है। अंकुश नारंग ने कहा कि आम मुखमंत्रियों का साफ तौर से यह कह देना कि पार्षदों को और बजट नहीं मिलेगा। यह भाजपा का एक प्रयास है कि एमसीडी सही तरीके से चल न पाए और टप हो

ज्यादा अपने पार्षद के पास आती है और पार्षद से ही सबसे ज्यादा उम्मीद करती है कि पार्षद उनका काम कर के देंगे। अब जब भाजपा सरकार पार्षदों को बजट ही नहीं देगी तो फिर वो काम कैसे करेगी। इससे तो कहीं अच्छी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप सरकार में पार्षदों के माध्यम से काफ़ी काम होते थे। सदन में स्टैंडिंग बैटक में भाजपा पार्षदों का आक्रोश साफ साफ देखने को मिल रहा है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। उनको बजट नहीं मिल रहा है। अंकुश नारंग ने कहा कि आम मुखमंत्रियों का साफ तौर से यह कह देना कि पार्षदों को और बजट नहीं मिलेगा। यह भाजपा का एक प्रयास है कि एमसीडी सही तरीके से चल न पाए और टप हो

मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का किया लोकार्पण

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए छात्रों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और ईमानदारी, साहस तथा सेवा के मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के जीवन और आदर्शों को स्मरण किया गया तथा युवाओं के सशक्तिकरण,



चरित्र निर्माण, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जुड़े उनके संदेश पर प्रकाश डाला गया।

कॉलेज कैप्टीन लॉन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इस परिसर को आधिकारिक रूप से स्वामी

विवेकानंद कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया और इसे उन्हें समर्पित किया गया।

इसके साथ ही कॉलेज के अकादमिक ऑडिटोरियम का पुनः नामकरण कर उसे स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम किया गया, जो विद्यार्थियों में उत्कृष्टता, सेवा और नेतृत्व के मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने संबोधन में वक्ताओं ने आने के समय में स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए छात्रों से मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा एमसीडी के पार्षदों को 25 लाख से अधिक बजट देने से साफ इन्कार करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा दिल्ली नगर निगम को टप करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए नववर्ष पर अपने घर पर आयोजित लंच के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पार्षदों से कहा कि अब उन्हें 25 लाख से अधिक बजट नहीं मिलेगा। ऐसे में तो पार्षद जनता के काम ही नहीं करा पाएंगे।

इंडियन आइडल के पूर्व विजेता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के पूर्व विजेता और अभिनेता प्रशांत तामांग के आकस्मिक निधन से उनके प्रशंसक सदमे में हैं। दिल्ली के रघु नगर इलाके में रहने वाले प्रशांत को रविवार को संदिग्ध अवस्था में अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह मामला रविवार को तब सामने आया जब माता चानन देवी अस्पताल से एक मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट प्राप्त हुई। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को अस्पताल से सूचना मिली कि प्रशांत तामांग, जो रघु नगर के निवासी थे, उन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे और शुरूआती कागजी कार्रवाई पूरी की पुलिस के मुताबिक प्रशांत को उनकी पत्नी अस्पताल लेकर आई थीं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की फ़ाइल टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम तुरंत प्रशांत के निवास स्थान पर पहुंची। विशेषज्ञों ने घर के उस कमरे और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य एकत्र किए हैं, जहां प्रशांत मौजूद थे। प्रशांत तामांग ने इंडियन आइडल के तीसरे सीजन का खिताब जीतकर रातों-रात शोहरत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत जो उस समय कोलकाता पुलिस में कार्यरत थे। अपनी सादगी और सुरौली आवाज के लिए पूरे देश के चर्चे बन गए थे। संगीत के साथ-साथ उन्होंने नेपाली फिल्मों में एक सफल अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी।

जेटो डिलीवरी बॉय को शोरूम मालिक ने बुरी तरह पीटा

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोडली में सोमवार को एक जेटो डिलीवरी कर्मचारी को शोरूम मालिक ने बुरी तरह से बंधक बनाकर पीटा दिया। इसके पीछे का कारण केवल पीड़ित द्वारा शोरूम में रखा परंप्रम्य इस्तेमाल करना था। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल युवक की पहचान 18 वर्षीय रिशा कुमार के रूप में हुई है। पुलिस शोरूम मालिक से पूछताछ कर रही है। पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त अभिषेक धनिया के अनुसार रिशा कुमार उर्फ लाला बाबू परिवार के साथ हरिजन बस्ती, ओल्ड कोडली में रहता है। वह जेटो कंपनी के लिए डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है। सोमवार को पूर्वी जिला पुलिस को सूचना मिली कि जेटो शोरूम के मालिक ने रिशा को दुकान के अंदर परंप्रम्य का इस्तेमाल करने के आरोप में रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। गुस्से पर मालिक ने कथित रूप से उसे गलत तरीके से बंधक बनाया और पिटाई करके युवक को बुरी घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोडली थाने को पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पीड़ित का बयान दर्ज किया गया और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल आरोपी शोरूम मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोच पहुंचाना), धारा 126 (गलत तरीके से बंधक बनाना) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पीड़ित के बयान और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल शुरू कर दी है।



संदेश भी मिला। फिल्म शो से पहले सचदेवा ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हाकी शिक्षा, रचियों और भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें आत्मविश्वास, अनुशासन और परिश्रम के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। फिल्म शो के बीच में बच्चों के लिए आवाहार एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की गई।

विवेकानंद जयंती पर वीरेन्द्र सचदेवा ने आर्य बाल आश्रमों के बच्चों के साथ बिताया समय

फिल्म द राजा साहब दिखा कर दिया खुशी का संदेश

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय सरोकार का परिचय दिया। उन्होंने आर्य बाल आश्रम दरिया गंज एवं ईस्ट आर्य कैलाश में रह कर पढ़ने वाले विशेष बच्चों के साथ एक आत्मीय एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम में

भाग लिया। इस अवसर पर वीरेन्द्र सचदेवा ने बच्चों के साथ फिल्म द राजा साहब देखी और उनके साथ समय बिताकर उन्हें आनंद और उत्साह से भर दिया। इस अवसर पर आर्य बाल आश्रमों के संयोजक नितिनचंद्र चौधरी, दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल और सह कार्यक्रम मंत्री अमित गुप्ता सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों

को स्मरण करते हुए हुई। सचदेवा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन और दर्शन आज भी समाज की सकारात्मक दिशा देने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों, विशेषकर अनाथ और वंचित बच्चों के उत्थान के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और ऐसे प्रयास विवेकानंद के विचारों को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम है। फिल्म प्रदर्शन के दौरान बच्चों में विशेष उत्साह और खुशी देखने को मिली। फिल्म के माध्यम से उन्हें मनोरंजन के साथ-साथ सकारात्मक

संदेश भी मिला। फिल्म शो से पहले सचदेवा ने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हाकी शिक्षा, रचियों और भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें आत्मविश्वास, अनुशासन और परिश्रम के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। फिल्म शो के बीच में बच्चों के लिए आवाहार एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की गई।

एक लाख का इनामी बदमाश विकास उर्फ विक्की गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में सक्रिय कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार के नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत पूर्वी जिले की रेंज (एनडीआर) क्राइम ब्रांच ने गोल्डी बरारगिरोह गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज 18 संगीन आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। वह कई मामलों में कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने सोमवार को बताया कि विकास उर्फ विक्की लंबे समय से गोल्डी बरार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। वह गिरोह के लिए फायरिंग, लूट और जबरन वसूली जैसी वारदातों को अंजाम देता था। आरोपित दिल्ली के चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र में दर्ज आर्य एक्ट के एक मामले में फरार चल रहा था। इस मामले में उसके साथी अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए



थे, जबकि विकास मौके से फरार हो गया था। बाद में उसे भगोड़ा घोषित किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2023 में विकास उर्फ विक्की ने गुल्ग्राम में एक फ्लैट किराए पर लेकर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के करीब दस बदमाशों को ठहराया था। इनकी योजना अदालत परिसर में कौशल चौधरी गिरोह के सरगना की हत्या करने की थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने साजिश को

नाकाम करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विकास एक बार फिर फरार हो गया। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार, विकास उर्फ विक्की की पहचान गोल्डी बरार के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जेल में रहते हुए उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ था, लेकिन बाद में गिरोह के अंदरूनी

मत्भेदों के चलते उसने गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गुट का साथ दे दिया। जेल से बाहर आने के बाद वह लगातार फरार रहा और गिरोह के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से वसूली व लूट की घटनाओं को अंजाम देता रहा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जून 2025 में राजधानी के कई कारोबारियों को गोल्डी बरार की ओर से फिरौती की धमकी भरे कॉल किए गए थे। इसी सिलसिले में चाणक्यपुरी इलाके में एक क्लब के बाहर फायरिंग की साजिश रची गई थी, जिसमें विकास उर्फ विक्की की अहम भूमिका थी। हालांकि पुलिस कार्रवाई में उसके साथी पकड़े गए थे, जबकि वह बचकर निकल गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर आरोपी को उत्तर प्रदेश के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि विकास उर्फ विक्की की गिरफ्तारी से गोल्डी बरार गिरोह की दिल्ली-एनसीआर में गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। उससे जुड़े अन्य नेटवर्क और सहयोगियों को भी गहन जांच की जा रही है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND NEITHER DOES IT CONSTITUTE A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT NOR IS IT AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOR FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") (USE AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURES REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.



(Please scan this QR Code to view the Draft Red Herring Prospectus)

PUBLIC ANNOUNCEMENT



RODEC PHARMA LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Rodec Pharmaceuticals Private Limited", as a private limited company under the Companies Act, 1956 through a certificate of incorporation dated November 18, 1997, issued by the Assistant Registrar of Companies, N.C.T. of Delhi & Haryana ("RoC"). Subsequently, the name of our Company was changed from "Rodec Pharmaceuticals Private Limited" to "Rodec Pharma Private Limited" by way of shareholder's resolution dated December 30, 2023. Consequently, certificate of incorporation pursuant to change of name, dated January 16, 2024 was issued to the Company by the Registrar of Companies, N.C.T. of Delhi & Haryana. Thereafter, our Company was converted into public limited company pursuant to special resolution passed by our Shareholders on March 18, 2024 and consequently, a fresh certificate of incorporation dated June 19, 2024, was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre ("CPC") to our Company under the present name i.e., "Rodec Pharma Limited". Subsequently, the registered office of our Company was shifted from the state of Delhi to the state of Uttar Pradesh and consequently a certificate of registration of Regional Director for change of state dated December 26, 2025 was issued to the Company by Registrar of Companies, Kanpur. Our Company's Corporate Identity Number is U24233UP1997PLC239832. For further details, kindly refer "Our History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company" beginning on page 227 of the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP") dated January 11, 2026.

Registered Office : C-2, Site-3, Meerut Road Industrial Area, Ghaziabad-201001, Uttar Pradesh, India; Tel : +91-9217360789 Contact Person: Keshav Kumar Sharma, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: cs@rodec.in | Website: www.rodec.in | Corporate Identity Number: U24233UP1997PLC239832

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MUKESH KUMAR GUPTA, CHHAYA GUPTA AND UTKARSH GUPTA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 56,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF RODEC PHARMA LIMITED ("OUR COMPANY") OR THE "ISSUER" FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY WAY OF AN OFFER FOR SALE OF UP TO 56,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE" AND SUCH INITIAL OFFERING, THE "OFFER") BY MUKESH KUMAR GUPTA ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "OFFERED SHARES").

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [●], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [●] AND [●] EDITION OF [●] (A HINDI NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION IN UTTAR PRADESH, HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF UTTAR PRADESH, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extending the Bid/ Offer Period for a minimum of One Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") and such portion, the "QIB Portion", provided that our Company in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"). 40% of the Anchor Investor Portion will be reserved for allocation in the following manner: (i) 33.33% to domestic Mutual Funds, and (ii) 6.67% to life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds and life insurance & pension funds companies at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). In the event of an under-subscription in the portion reserved for life insurance companies and pension funds, the allocation shall be made to domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million and (b) two third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Offer by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account, and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For further details, kindly refer "Offer Procedure" beginning on page 448 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated January 11, 2026 with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on January 11, 2026.

Pursuant to Regulation 26(1) of SEBI ICDR Regulations, the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the BRLM at www.khambattasecurities.com, our Company at www.rodec.in, and the Stock Exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI in respect of disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company or the BRLM in relation to the Offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 41 of the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP").

Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP") may be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been registered with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

The liability of the members of our Company is limited by shares. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, kindly refer "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page 227 of the Draft Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories of the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, kindly refer "Capital Structure" beginning on page 104 of the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP").

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER & SHARE TRANSFER AGENT
<p>Khambatta Securities Limited SINCE 1918</p>	<p>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED</p>
<p>806, World Trade Tower, Tower B, Noida Sector-16, Uttar Pradesh-201301, India Tel.: +91 9953989693; 0120 4415469 E-mail : ipo@khambattasecurities.com Website: www.khambattasecurities.com Investor grievance e-mail: mbcomplaints@khambattasecurities.com Contact Person: Chandan Mishra / Shubhra SEBI Registration Number: INN000011914</p>	<p>S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400 093, India. Tel.: 022-62638200 Email: ipo@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Contact Person: Babu Raphael C SEBI Registration No.: INR00001385</p>
<p>All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP").</p>	
<p>For RODEC PHARMA LIMITED On behalf of Board of Directors Sd/- Keshav Kumar Sharma Company Secretary and Compliance Officer</p>	
<p>RODEC PHARMA LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated January 11, 2026 with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com, BSE at www.bseindia.com, the website of the BRLM at www.khambattasecurities.com and our Company at www.rodec.in. Any potential investor should note that the investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to risk, please refer to the section titled "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, when filed. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI for making any investment decisions. Specific attention of the Investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 41 of the DRHP.</p>	
<p>The Equity Shares offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any other applicable laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions as defined in and in reliance on regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.</p>	
<p>FORTUNA + SHARK</p>	